न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 05 / 2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024 / 179

1. राजाराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी करणीसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

—: प्रार्थी

बनाम

1. एरिका पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
2. औमप्रकाश पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
3. कन्नी देवी पुत्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
4. कैलाश पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
5. गुडडी पुत्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
6. नमनदीप पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
7. निर्मला पुत्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
8. प्रेमलता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
9. प्रियंका पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
10. मनोहरी पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
11. महावीर पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
12. मीरां पत्नी पतराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
13. मौसमी देवी पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
14. लिछमा पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
15. वेद प्रकाश पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
16. विदया देवी पत्नी हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
17. शिमला पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
18. संतोष पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
19. संदीप पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
20. सुनीता देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
21. सुभाष पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
22. सरबती पुत्री लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
23. सरस्वती पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी 22 जीवी तहसील श्रीविजयनगर
24. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री भवानी पंवार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय, अप्रार्थीगण सं. 1 से 23
3. राजपैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

दिनांक : 21.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 4 बीपीएम मु.नं. 73 प.नं. 125 / 420 कि.नं. 11 व 20 तथा मु.नं. 72 प.नं. 126 / 420 में कि.नं. 15, 16,17 कुल 7 बीघा यानि 1.771है. कमाण्ड में पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण सं. 1 से 23 की खातेदारी भूमि चक 4 बीपीएम मु.नं. 72 प.नं. 126 / 420 कि. नं. 20 / 2, 19, 18 प्रत्येक में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण में

अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/एतराज एवं लिखित कथन प्राप्त नहीं होने के कारण बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गै.मु. रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का 23 एसडी अनुसार प्रार्थी को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ते की परम आवश्यक्ता है। वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। निकटतम व न्यूनतम रास्ता व्यवहारिक है। रिपोर्ट के संलग्न मौका नक्शा का अवलोकन किया।

3. न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ते की मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता निकटतम मार्ग है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 23 की भूमि चक 4 बीपीएम मु.नं. 72 प.नं. 126/420 कि.नं. 20/2, 19, 18 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा उत्तरी पासा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 23 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:53:27 IST
Reason: SelfAttested